

915714

दिनांक 9-5

देवा से

कै-यू-य लोक सभ्या अधिकारी  
युवाश्रम विभाग, दिल्ली-54

12

विषय: कम्पलीट डे-वेल सरकारी हस्तगत  
से लगवाने हेतु आर.टी.आई. शाही 10/2

श्रीमान् जी, मैंने सरकारी हस्तगत से अपने कार्ड  
पानी के टांगे के इलाज करवाने के बाद डाक्टर के  
एडवाइज के बाद हस्ता को सेट लगवाया। सरकारी  
अस्पताल से सुनिश्चित होना के कारण डाक्टर को  
सरकारी पर थोड़ा बाधा से लगाना पड़े और सरकारी  
डाक्टर के खिलाफ सल्लाह भी कर दिया गी।  
मुझे सरकारी काम भी वही लेखना है।

02/01/2009  
915714

श्री लता

माँ ही हमारे पता C-11/5  
दिनांक 13-12-2002 पर संख्या एड/117/04

के अनुसार सरकारी हस्तगत से इलाज कराया।  
दिनांक 4-11-13 को भी पुनः अजी लता कोर्डे

लेकिन अजी लता कोर्डे उतर गयी थिली। कृपया सरके उचित  
कार्यवाही हेतु कृपया

दिनांक 30/13 10 पर संख्या एड/10425/13 से कक्षा गया  
हूँ कि आइवेल हस्तगत से डे-वेल को कार्य कराया गया जिनके  
द्वारा इलाज सरकारी अस्पताल से कराया गया गी।  
उचित कार्यवाही हेतु।

दिनांक

10/1

यवतीप,  
हम लता जी



GOVERNMENT OF INDIA  
DEPARTMENT OF PUBLICATION  
CIVIL LINES, DELHI – 110 054.

Website : www.deptpub.nic.in  
E mail: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in  
TEL : 2381 7823 / 2381 9689 Fax: 2381 7846.

फाइल नं० : 65 ए/ओ० एण्ड एम०/20008/2014

दिनांक: 06 जून, 2014.

श्री हेम चन्द्र जैन  
पर्यवेक्षक अधिकारी,  
प्रकाशन विभाग, सिविल लाईंस,  
दिल्ली - 110062

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ।

अहोदय

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका दिनांक 09.5.2014 का आवेदन इस विभाग में दिनांक 09.5.2014 को प्राप्त हुआ है । मांगी गई सूचना के संबंध में सूचित किया जाता है कि आवेदक से अपने व अपनी पत्नी के कम्पलीट डेन्चर सेट प्राइवेट हस्पताल से लगवाने के पश्चात कार्यालय से S.O.C. मांगने के लिए दिनांक 23.7.2013 को आवेदन किया तथा आवेदन के साथ संलग्न जेनरल हॉस्पिटल वहादुरगढ़, इलाहाबाद, हरियाणा के चिकित्सा अधिकारी ने प्राइवेट अस्पताल से दांतों के सेट (कम्पलीट डेन्चर) लगवाने के लिए अनुशंसा (recommendation) नहीं की थी । इस मामले में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार आवेदक को जापन संख्या Estt./10425/13 के द्वारा भी सूचित किया जा चुका है ।

यदि आप उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो संयुक्त सचिव एवं प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाईंस, दिल्ली अपीलीय अधिकारी से अपील कर सकते हैं !

भवदीय,

(एस/एस दुलाल)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

काम्यो  
य/म  
6/6/14